



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271657
CG-DL-E-09042026-271657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]
No. 104]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2026

सं. 01/2026-27

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.90 में संशोधन।

फा. सं. 01/02/60/एम-25/ईजीएंडटीएफ.—समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक-2023 के पैरा 2.90 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
2.90	उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ) (क) उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ) किसी भी देश में आयात किए गए माल के उद्गम का प्रमाण स्थापित करने का एक माध्यम है। (ख) सीओओ की दो श्रेणियाँ हैं नामतः	उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ) (क) उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ) किसी भी देश में आयात किए गए माल के उद्गम का प्रमाण स्थापित करने का एक माध्यम है। (ख) सीओओ की दो श्रेणियाँ हैं नामतः

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
	(i) अधिमान्य (ii) गैर-अधिमान्य	(i) अधिमान्य (ii) गैर-अधिमान्य (ग) उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची परिशिष्ट 2ख, 2ग, 2घ और 2ड में अधिसूचित की गई है। (घ) सभी प्राधिकृत एजेंसियों को केवल https://www.trade.gov.in या ऐसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ही आवेदन स्वीकार करने और उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने होंगे, जिन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय समय-समय पर नामित करता है। नामित प्लेटफॉर्म के बाहर नियमावली जारी करने की अनुमति नहीं है और इससे उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधिकार को रद्द किया जा सकता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियां केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से ही प्रमाणपत्र स्वीकार और जारी कर सकती हैं।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th April, 2026

No. 01/2026-27

Subject: Amendments to Para 2.90 of Handbook of Procedures 2023.

F. No. 01/02/60/AM-25/EG&TF—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments to Para 2.90 of HBP-2023:

Para No.	Existing Para	Amended Para
2.90	Certificates of Origin (CoO) (a) Certificate of Origin (CoO) is an instrument to establish evidence on origin of goods imported into any country. (b) There are two categories of CoO viz. (i) Preferential (ii) Non preferential	Certificates of Origin (CoO) (a) Certificate of Origin (CoO) is an instrument to establish evidence on origin of goods imported into any country. (b) There are two categories of CoO viz. (i) Preferential (ii) Non preferential (c) The list of authorized agencies to issue Certificates of Origin is notified in Appendix 2B, 2C, 2D and 2E. (d) All authorized agencies must accept

Para No.	Existing Para	Amended Para
		applications and issue CoOs only via https://www.trade.gov.in or such other platform as may be designated by DGFT from time to time. Manual issuance outside of the designated platform is not permissible and may lead to revocation of authorization to issue CoO.

Effect of this Notification: Authorised agencies for issuance of Certificate of Origin may accept and issue the certificates only from the designated electronic platform as specified by DGFT.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.